UP Board Class 8 Civics Notes Chapter 1 हमारा लोकतन्त्र

लोगों को फ़ैसला क्यों लेना चाहिए ?

भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माँग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए ।

1909 गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी।

ई.वी.एम :- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार :- देश के सभी वयस्क नागरिकों (जो 18 वर्ष से अधिक है) को वोट देने का अधिकार है।

लोग :- लोग ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है ।

प्रतिनिधि :- लोग ही संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

सरकार :- निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है।

संसद :- जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है।

https://www.evidyarthi.in/